रजिस्ट्री सं० डी. (डी. एन.)-73

REGISTERED No. D. (D.N.) 73

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 188] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 14, 1986/चैत्र 24, 1908

No. 188] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 14, 1986/CHAITRA 24, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1986

सा. का. नि. 626(अ).—केन्द्रीय सरकार, चाय कम्पनी (रुग्ण चाय यूनिटों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1985 (1985 का 37) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चाय कम्पनी (रुग्ण चाय यूनिटों का अर्जन और अन्तरण) नियम, 1986 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —

(क) "अधिनियम" से चाय कम्पनी (रुग्ण चाय यूनिटों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1985 (1985 का 37) अभिप्रेत है ;

(ख) "धारा" से "अधिनियम की धारा" अभिप्रेत है ;

3. सूचना के लिए समय-सीमा :—किसी ऐसे सम्पत्ति, जो अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई है, का प्रत्येक बंधकदार और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी ऐसी सम्पत्ति में, या उसके संबंध में, भार, धारणाधिकार या हित धारण कर रहा है- ऐसे बंधक भार, धारणाधिकार या किसी हित की सूचना आयुक्त को, उस तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार धारा 16 के अधीन विनिर्दिष्ट करे, तीस दिन की अवधि के भीतर देगा :

परन्तु, यदि आयुक्त का समाधान हो जाता है कि बंधकदार या ऐसा व्यक्ति, जो कोई भार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण कर रहा है, पर्याप्त कारण से तीस दिन की उक्त अवधि के भीतर सूचना देने से निवारित रहा था, तो वह तीस दिन की अतिरिक्त अवधि के भीतर, सूचना प्राप्त कर सकेगा, किन्तु उसके पश्चात् नहीं ।

4. सूचना की रीति :—(1) नियम 3 के अधीन आयुक्त को दी जाने वाली प्रत्येक सूचना, लिखित रूप में होगी, आयुक्त

को संबोधित होगी और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी, अर्थात् :—

(क) बंधकदार या भार, धारणाधिकार या अन्य हित के धारक का नाम, विवरण और पूरा पता ;

(ख) रुग्ण चाय यूनिट का नाम, विवरण और पूरा पता ;

(ग) रुग्ण चाय यूनिट के स्वामी या स्वामियों का नाम और पता ;

(घ) धारा 6 और धारा 7 की उपधारा (1), (2) और (3) के अधीन दावे की रकम (भारतीय करेंसी में) ;

(ङ) लिखित, यदि कोई हो, की विशिष्टियां, जिसके द्वारा बंधक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित प्रतिभूत किए गए हैं, लिखित की अनुप्रमाणित प्रति द्वारा समर्थित हो ;

(च) विशिष्टियां सहित पहले ही प्राप्त की गई रकम, यदि कोई हो ;

(छ) दावे से सुसंगत कोई अन्य विशिष्ट ;

(ज) दावा किया गया अनुतोष ।

5. प्रत्येक सूचना, बंधकदार या भार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाले व्यक्ति या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता, द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित होगी ।

6. सूचना, आयुक्त के कार्यालय में, सभी कार्य दिवसों को कार्यालय समय के दौरान फाइल की जा सकेगी या उसे आयुक्त को रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजी जा सकेगी ।

[फाइल सं. बी-12012(6)/85-प्लांट-"ए"]

पवन चौपड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 10th April, 1986

G.S.R. 626(E).—In exercise of the powers conferred by section 32 of the Tea Companies (Acquisition and Transfer of Sick Tea Units) Act, 1985 (37 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Tea Companies (Acquisition and Transfer of Sick Tea Units) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "Act" means the Tea Companies (Acquisition and Transfer of Sick Tea Units) Act, 1985 (37 of 1985);

(b) "Section" means a section of the Act;

3. Time limit for intimation.—Every mortgagee of any property which has vested under the Act in the Central Government and every person holding any charge, lien or other interest in or in relation to any such property, shall give intimation of such mortgage, charge, lien or other interest to the Commissioner within a period of thirty days from such date as may be specified by the Central Government under section 16 :

Provided that if the Commissioner is satisfied that the mortgagee or the person holding any charge, lien or other interest was prevented by sufficient cause from giving the intimation within the said period of thirty days, he may receive the intimation within a further period of thirty days, but not thereafter.

4. Manner of intimation.—(1) Every intimation to be given to the Commissioner under rule 3, shall be in writing, addressed to the Commissioner and shall contain the following particulars, namely :—

(a) name, description and full address of the mortgagee or holder of the charge, lien or other interest;

(b) name, description and full address of the Sick Tea Unit;

(c) name and address of the owner or owners of the Sick Tea Unit;

(d) amount of claim (in Indian currency) under section 6 and under sub-sections (1), (2) and (3) of section 7;

(e) particulars of the instrument, if any, by which the mortage, charge, lien or other interest is secured, supported by an attested copy of the instrument;

(f) amount, if any already received, with particulars;

(g) any other particular relevant to the claim;

(h) relief claimed.

5. Every intimation shall be signed and verified by the mortgagee or the person holding the charge, lien or other interest, or by his duly authorized agent.

6. Intimation may be filed in the office of the Commissioner on all working days during office hours or may be sent to him by registered post with acknowledgement due.

[File No. B-12012(6)[85-Plant(A)]

PAWAN CHOPRA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986